



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14, अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या-1703-अधि०प्रब०-03/पाकालि/2019-3(43)ई०एम०-03/2012

दिनांक: 18 नवम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञाप

श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव (अभिज्ञान सं०-2012043, सम्प्रेक्षा सं०-ए-1214), प्रोन्नत सहायक अभियन्ता को, लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में अंगीकृत परिषदादेश संख्या 4065-जी/राविप-एक-230ए/66 दिनांक 23.06.1978, सपटित परिषदादेश संख्या-198-पी/पी एण्ड एफपी-29-राविप-8-पी एण्ड एफपी/87 दिनांक 26.08.1988 एवं संख्या-1604-काविनी/राविप-29-99-9-काविनी/87 दिनांक 30.12.1999 में निहित प्राविधानानुसार, उनकी सेवानिवृत्ति तिथि 30.09.2019 को उनके अवकाश खाते में जमा कुल-300 (तीन सौ) दिनों के उपार्जित अवकाशों के नकदीकरण की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या-1703(1)-अधि०प्रब०-03/पाकालि/2019-तददिनांक :

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

पंजीकृत

- 1- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, पूर्वांचल विद्युत भवन, पत्रालय: डी०एल०डब्ल्यू०, विद्युत नगर, वाराणसी-221004।
- 2- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 3- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उनके द्वारा प्रेषित अवकाश ग्राह्यता आहरण सूचना पत्र सं०-8783 दिनांक 12.09.2019 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि कृत कार्यवाही से कारपोरेशन मुख्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, भदोही।
- 5- श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव (2012043), सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, बी-18, शान्तीपुरम, आर०टी०ओ०यू०, फाफामऊ, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि सेवानिवृत्तिक देयों के सम्बन्ध में वांछित सूचनायें/प्रपत्र (यदि प्रस्तुत न किये गये हों तो) सम्बन्धित इकाइयों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 6- अधिशासी अभियन्ता (वेब०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- कट फाइल।

पंजीकृत

(हिमांशु वार्ण्य)

उप सचिव (अ०प्र०-03)

अम